-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा समस्त थानों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों, पैरोकारो, विवेचकों आदि को ई-साक्ष्य ऐप, ई-सम्मन ऐप, त्रिनेत्र पोर्टल सहित अन्य सभी डिजिटल पोर्टल्स पर ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण डाटा फीडिंग सुनिश्चित किए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक कर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश।**

विवरण- आज दिनांक 25.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज द्वारा पुलिस लाइन बांदा नवीन सभागार में समस्त थानों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों, पैरोकारों, विवेचकों आदि को ई-साक्ष्य ऐप, ई-सम्मन ऐप, त्रिनेत्र पोर्टल सहित अन्य सभी डिजिटल पोर्टल्स पर ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण डाटा फीडिंग सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियोगों में ई-साक्ष्य ऐप के इस्तेमाल करने, घटनास्थल निरीक्षण की वीडियो, गिरफ्तारी, बयानों आदि का वीडियो अपलोड करने तथा अन्य सम्बन्धित इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को विवेचना में शामिल करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ई-साक्ष्य ऐप में इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को संलग्न कर प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा विभिन्न इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को पेन ड्राइव, सीडी आदि के माध्यम से संलग्न किए जाने के सम्बन्ध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। ई-सम्मन ऐप के माध्यम से न्यायालय से प्राप्त नोटिस, सम्मन आदि आदेशिकाओं को ई-सम्मन ऐप के माध्यम से सम्बन्धित थाने को भेजने व तामिल कराकर सम्बन्धित मा0 न्यायालय को वापस किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। त्रिनेत्र ऐप में अपराधियों का डेटा समय से अपडेट करने तथा सीसीटीएनएस में समय से सभी निर्धारित प्रपत्रो को भरने तथा सड़क दुर्घटनाओं में iRAD (Integrated Road Accident Database) डाटा नियमित अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी साइबर क्राइम/क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री सौरभ सिंह द्वारा साइबर अपराधों से निपटने तथा साइबर हेल्पलाइन नम्बर-1930 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण व पीड़ितों के रुपये वापस कराये जाने की प्रकिया तथा साइबर अपराधों में अभियोग पंजीकरण तथा विवेचनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।